<u>भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ</u>

फा. संख्या 06/33/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 26.03.2024

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>

मामला संख्याः ओआई-30/2023

विषय: चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताइवान, थाइलैंड तथा संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पीवीसी सस्पेंशन रेजिन" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा.सं. 06/33/2023- कैमप्लास्ट कुड्डालोर विनायल्स लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड तथा डीसीडब्ल्यू लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने 1995 और उसके बाद यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "एडी नियमावली 1995" भी कहा गया है) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताइवान, थाइलैंड तथा संयुक्त राज्य अमरीका (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पीवीसी सस्पेंशन रेजिन" (जिसे यहां आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों संबंधी पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और उचित पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है ।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. विचाराधीन उत्पाद विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपॉलीमर (सस्पेंशन ग्रेड) है जिसे पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के रूप में भी जाना जाता है। संबद्ध वस्तु के के मामले में, विभिन्न पॉलिमर श्रृंखलाएं एक-दूसरे से जुड़ी नहीं हैं। विचाराधीन उत्पाद को "पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) रेजिन", "सस्पेंशन ग्रेड" या "पीवीसी सस्पेंशन रेजिन" के रूप में भी जाना जाता है।

4. बल्क मास पोलीमराइजेशन, इमल्शन पोलीमराइजेशन और माइक्रो सस्पेंशन पोलीमराइजेशन प्रक्रिया के जरिए विनिर्मित निर्मित पीवीसी रेजिन विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है। पीवीसी रेजिन के निम्नलिखित प्रकार विचाराधीन उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से हैं:

   i. क्रॉस-लिंक्ड पॉली विनाइल क्लोराइड
   ii. क्लोरीनेटेड पॉली विनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी)
   iii. विनाइल क्लोराइड विनाइल एसीटेट कॉपोलीमर (वीसी-वैक)
   iv. पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन
   v. मास पॉलिमराइजेशन पीवीसी
   vi पॉली विनाइल क्लोराइड ब्लेंडिंग रेजिन

5. पीवीसी सस्पेंशन रेजिन को सस्पेंशन पोलीमराइजेशन तकनीक के प्रयोग से उत्पादित किया जाता है । संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए, विनाइल क्लोराइड मोनोमर ("वीसीएम") को पोलीमराइजेशन की प्रक्रिया के जरिए विनाइल पॉलिमर में बदला जाता है । वीसीएम को या तो एथिलीन डाइक्लोराइड ("ईडीसी") के प्रयोग द्वारा या कैल्शियम कार्बाइड ("कार्बाइड") के प्रयोग द्वारा उत्पादित किया जाता है। एथिलीन पद्धति तथा कार्बाइड पद्धति से उत्पादित पीवीसी विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल है।

6. पीवीसी सस्पेंशन रेजिन को आमतौर पर पाइपो और फिटिंग, फ्लेक्सिबल होज, फिल्म/शीट, बोतल, प्रोफाइल, वायर और केबल, फुटवियर आदि विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है।

7. संबद्ध वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की अनुसूची-I के अध्याय 39 के अंतर्गत सीमाशुल्क वर्गीकरण 3904 10 20 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद को एचएस कोडों 3904 10 90, 3904 21 00, 3904

10 10, 3904 22 00, 3904 90 10, 3904 90 90, 3904 30 00 और 3904 21 10 के तहत भी आयातित किया जा रहा है। तद्नुसार, चार अंकीय स्तर पर एच एस कोड अर्थात 3904 पर वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है । यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. वर्तमान जांच के पक्ष विचाराधीन उत्पाद पर अपनी टिप्पणियाँ प्रदान कर सकते हैं और जांच शुरू होने की सूचना प्राप्त होने के **15** दिनों के भीतर पीसीएन (उचितीकरण के साथ), यदि कोई हो, प्रस्तावित कर सकते हैं।

ख. <u>संबद्ध देश</u>

9. वर्तमान पाटनरोधी जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमरिका हैं।

ग. <u>समान वस्तु</u>

10. आवेदकों ने बताया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इन दोनों उत्पादों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं । इस प्रकार, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद को संबद्ध देशों से आयातित किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना गया है ।

घ. <u>जांच की अवधि (पीओआई)</u>

11. आवेदकों ने 1 अक्टूबर 2022 से 30 जून 2023 (9 महीने) का जांच अवधि के रूप में प्रस्ताव किया है । आवेदकों ने दावा किया है कि 9 महीने की जांच की अवधि वर्तमान जांच के लिए उचित है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद का पाटन 2022-23 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2022) में तीव्र हो गया है । तदनुसार, यह आवेदन जांच अवधि पर उस समयावधि के रूप में विचार करते हुए प्रस्तुत किया गया है

जिसमें भारत में पाटन शुरू हुआ था और यह अवधि आंकड़ों के उपलब्ध होने की अद्यतन अवधि तक थी ।

12. तदनुसार, प्राधिकारी ने 1 अक्टूबर 2022 - 30 सितंबर 2023 पर जांच की अवधि के रूप में विचार किया है। क्षति जांच में 2020-21, 2021-22, 2022-23 की अवधि और जांच की अवधि शामिल होगी।

ङ. **<u>घरेलू उद्योग</u>**

13. यह आवेदन केमप्लास्ट कुड्डालोर विनाइल्स लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने जांच की अवधि के दौरान न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित हैं।

14. भारत में संबद्ध वस्तु के दो और उत्पादक हैं, अर्थात् फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैं। उन्होंने वर्तमान आवेदन का समर्थन या विरोध नहीं किया है । इसके अलावा, आवेदकों ने दावा किया है कि उक्त उत्पादक जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में शामिल भी हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि ऐसे उत्पादकों को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग नहीं माना जाना चाहिए।

15. किसी भी तरह, यदि रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार दो उत्पादकों को पात्र माना भी जाता है, तो भी आवेदकों के उत्पादन का भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है। अतः, प्राधिकारी ने आवेदकों अर्थात केमप्लास्ट कुड्डालोर विनाइल्स लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड को नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के तहत घरेलू उद्योग माना है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है ।

च. **<u>कथित पाटन का आधार</u>**

<u>चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य</u>

16. आवेदकों ने बताया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और यह कि चीन जन.गण. से उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश दिया जाए

कि इस उद्योग में संबद्ध के उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। जब तक चीन जन.गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि बाजार अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति मौजूद है, तब तक उनके सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध- । के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित करना चाहिए।

17. अत:, जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ, सामान्य मूल्य को आवेदक की उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर उसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के साथ विधिवत रूप से समायोजित करके परिकलित किया गया है।

<u>इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताईवान, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका के लिए सामान्य मूल्य</u>

18. आवेदकों ने दावा किया है कि उन्होंने इन देशों में प्रत्यक्ष बिक्री कीमत के आधार पर संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयास किए थे, तथापि, उन्हें इसका कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया था । इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद को सभी सभी प्रमुख स्रोतों से भारत में पाटित किया जा रहा है और इसलिए, भारत में आयातों पर विचार नहीं किया जा सकता है। विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई कोई समर्पित कोड नहीं है, इसलिए, ऐसे देशों से अन्य देशों को निर्यात पर आधारित सामान्य मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है। अत:, आवेदकों ने आवेदकों की उत्पादन लागत को तर्कसंगत मार्जिनों के साथ विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य परिकलित करने का प्रस्ताव किया है।

19. जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने आवेदकों की उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके इसके आधार पर इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रथम दृष्टया सामान्य मूल्य निर्धारित किया है ।

<u>निर्यात कीमत</u>

20. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का अनुमान डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों पर आधारित सीआईएफ कीमतों पर विचार करते हुए लगाया गया है। इसके अलावा, कारखाना द्वार स्तर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समायोजनों को ध्यान में रखा गया है:

क) समुद्री माल भाड़ा;

ख) समुद्री बीमा;

ग) कमीशन;

घ) बैंक प्रभार

ड.) पत्तन व्यय; और

च) अंतर्देशीय माल भाड़ा

पाटन मार्जिन

21. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है, जो प्रथमदृष्टया सिद्ध करती है कि पाटन मार्जिन संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक है । इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है ।

छ. क्षति तथा कारणात्मक संबंध

22. आवेदकों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है । आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध आयातों की मात्रा में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से काफी अधिक वृद्धि हुई है । संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत में आधार वर्ष की तुलना में 2021-22 में वृद्धि हुई है और उसके बाद 2022-23 और पीओआई में गिरावट आई है, बिक्री कीमत में घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कहीं अधिक गिरावट आई है। इस प्रकार, आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण और ह्रास किया है। यद्यपि, घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में वृद्धि हुई है, परंतु घरेलू उद्योग और समग्र रूप से भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में 2021-22 से गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है, और उसे जांच की अवधि के दौरान वित्तीय घाटा उठाना पड़ा है। घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित नकद लाभ और निवेश पर आय में भारी गिरावट आई है। इसके अलावा, आयातों ने पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया है और संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

23. अत:, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं, जो पाटनरोधी जांच की शुरूआत को उचित ठहराते हैं।

ज. <u>शुल्क को पूर्वव्यापी रूप से लागू करना</u>

24. आवेदकों ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने का अनुरोध किया है। आवेदकों ने दावा किया है कि निम्नलिखित के कारण पूर्वव्यापी रूप से शुल्क लागू करना आवश्यक है:

क. संबद्ध देशों से भारत में उत्पाद के पाटन का स्पष्ट इतिहास है। चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमरिका से आयात 23 जनवरी 2008 से 9 फरवरी 2022 की अवधि तक पाटनरोधी शुल्क के अधीन रहे थे।

ख. भारत में आयातक इस तथ्य को जानते हैं कि निर्यातक भारत में उत्पाद का पाटन करते हैं। जैसे ही संबद्ध वस्तु के आयातों पाटनरोधी शुल्क समाप्त हुआ, आयातों की मात्रा में 2022-23 में 65% वृद्धि हुई है।

ग. घरेलू उद्योग के निष्पादन में जांच की अवधि के दौरान तेजी से गिरावट आई है क्योंकि उसे वित्तीय घाटा और नकद घाटा हुआ है। घरेलू उद्योग वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय नहीं कमा पाया है । यदि पाटनरोधी शुल्क तत्काल नहीं लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग का पूंजी निवेश बेकार होने की संभावना है।

25. हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में दी गई समय सीमा के अनुसार इस संबंध में अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

झ. <u>पाटनरोधी जांच की शुरूआत</u>

26. आवेदकों द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, संबद्ध वस्तु के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध को सिद्ध करते हुए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू

उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतद्द्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं ।

ञ. **प्रक्रिया**

27. एडी नियमावली, 1995 के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा ।

ट. **सूचना प्रस्तुत करना**

28. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adv11-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

29. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली,1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

30. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

31. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

32. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने और आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की अधिकारिक वैबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ।

ठ. समय सीमा

33. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के आवेदन के अगोपनीय अंश को परिचालित किए जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को भेजे जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों adv11-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली,1995 के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

34. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूसचना में यथानिर्धारित उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

35. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए ।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

36. वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के ए डी नियमावली के नियम 7 (2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

37. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा

अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

38. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

39. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो)और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।

40. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है और एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए ।

41. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज़ अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर अन्य इच्छुक पार्टियाँ द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं ।

42. सार्थक अगोपनीय अंश या ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी समुचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयाता के संबंध में पर्याप्त कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी गोपनीय अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा ।

43. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

44. यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

45. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें ।

ढ. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

46. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें । अनुरोधों/उत्तर/सूचना के अगोपनीय अंश का परिचालन नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है ।

ण. <u>असहयोग</u>

47. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत समयावधि के भीतर या इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी